प्रेस विज्ञप्ति

20-11-2025

आरकॉम धोखाधड़ी मामले में 1,452 करोड़ रुपये मूल्य की कई संपत्तियों को कुर्क किया गया; समेकित समूह से संबंधित कुर्की लगभग 9,000 करोड़ रुपये है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशेष कार्य बल, मुख्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) और मिलेनियम बिजनेस पार्क, नवी मुंबई में कई इमारतों के साथ-साथ पुणे, चेन्नई और भुवनेश्वर में भूमि और भवनों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कुल कीमत रु.1452.51 करोड़ है।

यह स्मरणीय है कि ईडी ने इससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरसीओएम), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में 7,545 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं के तहत आरकॉम, अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों ने 2010-2012 की अवधि से घरेलू और विदेशी उधारदाताओं से ऋण प्राप्त किया, जिसमें से कुल 40,185 करोड़ रुपये बकाया है। 9 बैंकों ने समूह के ऋण खातों को धोखाधड़ी घोषित किया है।

ईडी की जांच से पता चला कि एक बैंक से एक इकाई द्वारा लिए गए ऋणों का उपयोग अन्य बैंकों से अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण, संबंधित पक्षों को हस्तांतरण और म्यूचुअल फंड में निवेश के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था, जो ऋण के मंजूरी पत्र के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हैं। विशेष रूप से, आरकॉम और उसकी समूह कंपनियों ने ऋणों को नियमित बनाए रखने (एवरग्रीनिंग) के लिए 13,600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का विपथन (डायवर्ट) किया; 12,600 करोड़ रुपये से अधिक को संबद्ध पक्षों को स्थानंतरित किया गया और 1,800 करोड़ रुपये से अधिक सावधि (एफडी)/एमएफ आदि में निवेश किया गया, जिसे समूह संस्थाओं में पुनः भेजने (रूट) के लिए बड़ी मात्र में नकदीकृत किया गया। ईडी द्वारा संबंधित पक्षों को धन जुटाने के उद्देश्य से बिल छूट के भारी दुरुपयोग का भी पता चला है। विदेशी जावक प्रेषण के माध्यम से भारत के बाहर कुछ ऋणों का गबन किया गया था।

इन मामलों में कुल कुर्की 8,997 करोड़ रुपये है। ईडी वित्तीय अपराधों में संलिप्त अपराधियों का सक्रिय रूप से पीछा कर रहा है और अपराध की आय वैध दावेदारों को वापस करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आगे की जांच चल रही है।